31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन–पत्र

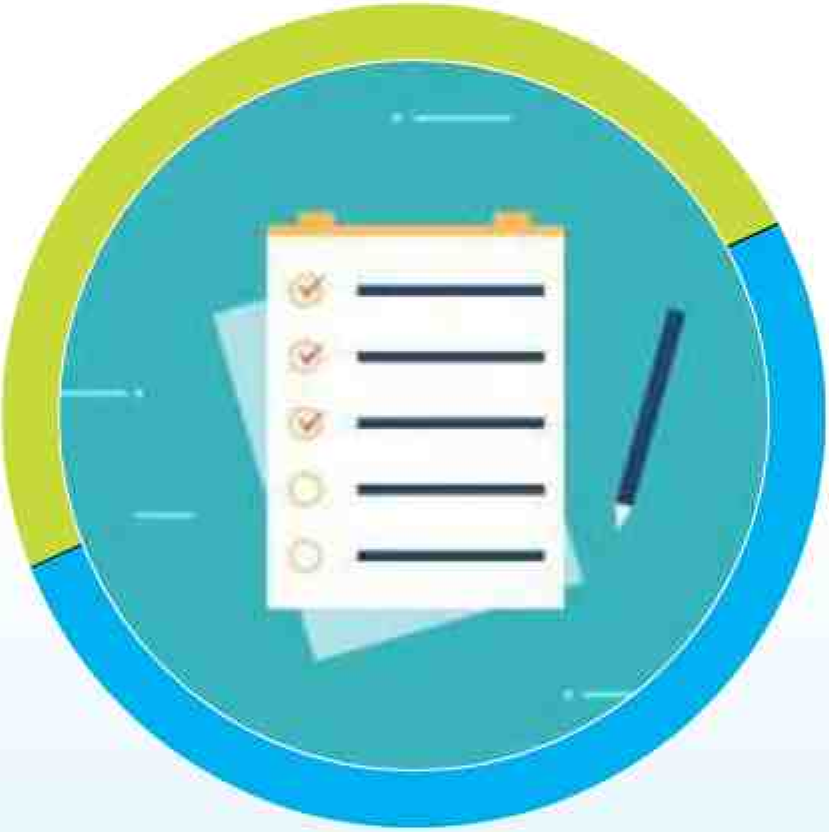

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन–पत्र

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्ति					
गैर–चालू परिसंपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		13,941.87		6,201.25
(ख) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	2		1,514.87		641.69
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		1.84		1.38
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		16,484.73		18,898.53
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	51.8		40.70	
(ii) ऋण	5	25.32		28.13	
(iii) अग्रिम	5.1	13.13		0.00	
(iv) अन्य	6	25.72	115.97	24.87	93.70
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		852.37		1,001.45
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	8		0.00		59.04
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		1,307.82		1,880.33
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंटरी	10		171.00		131.56
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	11	1,026.01		450.68	
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	12	148.23		95.62	
(iiक) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	12.1	5.96		0.00	
(iii) ऋण	13	7.11		7.90	
(iv) अग्रिम	14	24.84		15.63	
(v) अन्य	15	1,627.02	2,839.17	1,494.11	2,063.94
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	16		79.75		25.10
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	17		219.97		93.42
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	18		285.65		215.72
कुल			**37,815.01**		**31,307.11**
इक्विटी और देयता					
हिस्सेदारी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		7,383.46		6,880.80
कुल इक्विटी			**11,049.34**		**10,546.68**
गैर चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	18,727.97		14,578.80	

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
(क) पट्टा देयताएं	22	36.59		33.65	
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	112.81	18,877.37	70.67	14,683.12
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	24		698.29		736.54
(ग) प्रावधान	25		173.93		163.20
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	3,316.71		2,108.60	
(क) पट्टा देयताएं	27	3.41		3.20	
(ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		2.02		1.51	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		53.50		52.29	
(iii) अन्य 28	1,995.31	5,370.95	1,858.76	4,024.36	
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		167.79		162.09
(ग) प्रावधान	30		922.49		310.75
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		23.56		0.00
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	32		531.29		680.37
कुल			**37,815.01**		**31,307.11**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं।					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्या:– 074084

दिनांक:– 19.05.2025
स्थान:– ऋषिकेश

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आय					
प्रचालन से राजस्व	33		2,682.80		1,967.24
अन्य आय	34		29.58		44.85
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		23.64		20.65	
घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	23.64	0.00	20.65	0.00
कुल आय			**2,712.38**		**2,012.09**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		380.16		341.17
वित्त लागत	36		405.65		158.65
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2		284.45		300.05
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		791.9		611.92
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और भंडार एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,862.16**		**1,411.79**
विनियामक आस्थगन खाता शेष, अपवादात्मक मदें और कर-पूर्व लाभ/(हानि)			**850.22**		**600.3**
अपवादात्मक मदें- (आय)/ व्यय- निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ/(हानि) और विनियामक आस्थगन खाता शेष			**850.22**		**600.30**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		148.97		103.62
आस्थगित कर- (परिसंपत्ति)/ देयता			149.08		(185.43)
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ/(हानि)			**552.17**		**682.11**
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन - कर के बाद निवल	40		180.74		(83.03)
I निरंतर प्रचालन से अवधि के लिए लाभ/(हानि)			**732.91**		**599.08**
II अन्य व्यापक आय					
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		(9.65)		(7.22)
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः माप पर कर (व्यय)/लाभ			1.69		(2.52)
अन्य व्यापक आय			**(7.96)**		**(9.74)**
कुल व्यापक आय (I+II)			**724.95**		**589.34**

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (रु)			199.93		163.42
तनुकृत (रु)			199.93		163.42
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
बेसिक (रु)			150.62		186.07
तनुकृत (रु)			150.62		186.07
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

ब्यौरा	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के	
अनुसार				
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदें और कर–पूर्व का लाभ		**850.22**		**600.30**
जोड़ें : आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन (कर के बाद निवल)		(180.74)		83.03
जोडे: आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर		(38.27)		17.58
कर–पूर्व लाभ, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन शामिल है		**631.21**		**700.91**
समायोजन :–				
मूल्यह्रास		284.45		300.05
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	23.64		20.65	
प्रावधान		–		–
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(12.78)		(15.48)	
फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	5.05		0.00	
वित्तीय लागत	405.65		158.65	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.32)		(0.15)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1.55		0.40	
बैंक जमा पर ब्याज	(0.84)		(0.81)	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	–		–	
असाधारण मद	–	698.80	–	455.71
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,330.01**		**1,156.62**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः –				
इन्वेंट्री	(123.91)		(1.98)	
व्यापार प्राप्य (अबिलीकृत राजस्व सहित)	(710.04)		245.27	
अन्य परिसंपत्तियां	(47.30)		(959.25)	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(18.75)		(2.43)	
लघु ब्याज		–		–
व्यापार देय और देयताएं	130.95		140.71	
प्रावधान (चालू + गैर–चालू)	609.22		42.87	
आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन	219.01	59.18	(100.61)	(635.42)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,389.19**		**521.20**
निगमित कर		(161.98)		(134.37)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		**1,227.21**		**386.83**

ब्यौरा	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में परिवर्तन :–				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	(5,070.27)		(4,403.71)	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	5.41		12.25	
पूंजी अग्रिम	573.5		218.92	
अनुदान	–	–		–
बैंक जमा पर ब्याज	0.84		0.81	
विलंबित भुगतान अधिभार	12.77		15.45	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	(5.96)		–	
सहायक कंपनी में निवेश	(11.10)		(14.80)	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,494.81)**		**(4,171.08)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	–		–	
उधारों की अदायगी– गैर चालू	(568.27)		(238.78)	
उधार की आय– गैर चालू	4,717.44		4,528.49	
उधार– चालू	253.77		945.42	
पट्टा देयता		(6.24)		(6.37)
ुल्क (1,503.49)		(1,099.81)		
लाभांश		(527.34)		(171.44)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		2,365.87		3,957.51
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(901.73)**		**173.26**
ङ. प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**(81.42)**		**(854.68**
च. अंत शेष नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**(1,583.15)**		**(681.42)**

टिप्पणी:

1. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्निर्मित किया गया है।
2. नकदी एवं नकदी समतुल्य का समाधान टिप्पणी संख्या 43.27 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हo/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

हo/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

हo/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

हo/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

हo/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी–

(1) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

			01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष					
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (i)		**0.00**	**6,616.38**	**264.42**	**0.00**	**6,880.80**	**0.00**	**6,880.80**
अवधि के लिए लाभ			732.91			732.91	0.00	732.91
अन्य व्यापक आय			(7.96)			(7.96)		(7.96)

(राशि करोड़ में ₹)

			01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष					
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
कुल व्यापक आय			724.95			724.95	0.00	724.95
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			227.34			227.34		227.34
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)			497.61			497.61		497.61
आरक्षिती में/से अंतरित/समायोजन (iii)			(98.42)			(98.42)		(98.42)
फ्लाई ऐश उपयोग निधि में वृद्धि/(उपयोग) (निवल)					5.05	5.05		5.05
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्तन/(प्रयुक्त/समायोजित) (iv)				98.42		98.42		98.42
अंत शेष (i+ii+iii+iv)		0.00	7,015.57	362.84	5.05	7,383.46	0.00	7,383.46

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

(2) 31.मार्च, 2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण		शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (i)		**0.00**	**6,576.40**	**186.5**	**0.00**	**6,762.90**	**0.00**	**6,762.90**
वर्ष का लाभ			599.08			599.08	0.00	599.08
अन्य व्यापक आय			(9.74)			(9.74)		(9.74)
कुल व्यापक आय			**589.34**			**589.34**	**0.00**	**589.34**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			471.44			471.44		471.44
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)			**117.9**			**117.9**		**117.9**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती (iii) में स्थानांतरित			(77.92)			(77.92)		(77.92)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्धन/(प्रयुक्त) (iv)				77.92		77.92		77.92
अंत शेष (i+ii+iii+iv+v)		**0.00**	**6,616.38**	**264.42**	**0.00**	**6,880.80**	**0.00**	**6,880.80**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(सिपन कुमार गर्ग)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 10746205

ह0/–
(आर.के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

दिनांक:– 19.05.2025
स्थान:– ऋषिकेश

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्या:– 074084

टिप्पणी संख्या–1 कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंध जानकारी

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन: यू45203 यूआर 1988 जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है: भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. अनुपालन विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 19.05.2025 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (रु) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में निहित सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपरकर

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में संविदाकारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में है, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से

अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख-रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू-अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के संविदाओं के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 संविदाओं के मामले में मूल्य-अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार-संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती हैं।

4. कोयला खानों के विकास पर व्यय

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा:

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को ''खनन संपत्ति'' के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात-भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल ''गैर-चालू परिसंपत्ति /गैर-चालू प्रावधान'' शीर्ष के तहत ''स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन'' के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

4.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने,

स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकड़ें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 प्रारंभिक मान्यता और माप: सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **अनुवर्ती माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **सहायक कंपनियों में निवेश:–** सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत में से क्षतिग्रस्तता, यदि कोई हो, को घटाकर लेखांकित किया जाता है।

8.8 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन) –** किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्त्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल–सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 अनुवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों

को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तार उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि

राख/राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय और अधिशेष निधि के निवेश से प्राप्त आय को श्फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधिश में अंतरित कर दिया जाता है। इस निधि का उपयोग फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु अवसंरचना/सुविधाओं के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च, 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते हैं। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में रु 5,00,000/– या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे

उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशयित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है।

19.3 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकरण के वित्त वर्ष में रु 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.4 रु 1500/– से अधिक लेकिन रु5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय के वित्त वर्ष में 100: मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.5 रु 1500/– तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.6 फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण, जहां किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीवन को अलग से परिभाषित किया गया है, परिसंपत्ति के जीवन पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

19.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नहीं इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब :–

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रूप में उस लागत पर मान्यता दी जाती हैं जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनरू मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां

कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 **आस्थगित कर**

22.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के सापेक्ष सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया गया है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

22.2.5 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय / आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित "लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

252 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूलयांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है्य आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जबतक वे गौण न हों।

टिप्पणी: –2

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल,2024 से 31मार्च, 2025 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024, तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीजहोल्ड भूमि	131.85	79.55	(0.02)	211.38	—	—	—	—	211.38	131.85
2. जलमग्न भूमि	1,880.38	79.76	—	1,960.14	830.52	47.19	—	877.71	1,082.43	1,049.86
3. भवन	1,186.17	353.48	(22.34)	1,517.31	436.82	48.40	(21.75)	463.47	1,053.84	749.35
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.71	0.92	(10.71)	18.92	28.71	0.55	(10.71)	18.55	0.37	—
5. सड़क, पुल और पुलिया	205.12	499.49	(0.78)	703.83	72.42	10.02	(0.78)	81.66	622.17	
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	31.00	422.09	(9.80)	443.29	13.12	13.78	(9.80)	17.10	426.19	17.88
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.45	—	(0.56)	23.89	19.16	0.60	(0.47)	19.29	4.60	5.29
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,437.56	5,609.27	(0.04)	9,046.79	1,868.65	98.69	(0.04)	1,967.30	7,079.49	1,568.91
9. ईडीपी मशीनें	26.02	8.00	(4.52)	29.50	17.37	5.80	(4.09)	19.08	10.42	8.65
10. विद्युत अधिष्ठापन	49.31	49.63	(5.52)	93.42	15.2	6.95	(5.52)	16.63	76.79	34.11
11. पारेषण लाइन	33.08	110.9	(13.17)	130.81	21.59	13.72	(13.17)	22.14	108.67	11.49
12.कार्यालय एवं अन्य उपकरण	92.24	17.67	(4.98)	104.93	66.66	6.69	(4.09)	69.26	35.67	25.58
13.फर्नीचर और फिक्सचर	53.03	11.56	(3.9)	60.69	27.67	4.46	(3.26)	28.87	31.82	25.36
14.वाहन	32.6	16.07	(0.69)	47.98	16.01	2.94	(0.46)	18.49	29.49	16.59
15.रेलवे साइडिंग	1.22	160.86	—	162.08	0.81	1.79	—	2.60	159.48	0.41
16.हाइड्रोलिक कार्य बांध और स्पिलवे	5,265.05	294.08	(0.65)	5,558.48	3,483.48	65.24	—	3,548.72	2,009.76	1,781.57
17.हाइड्रोलिक कार्य सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	1,613.65	107.19	—	1,720.84	972	19.37	—	991.37	729.47	641.65
18.खदान संपत्तियां	0.00	271.39	0.00	271.39	0.00	1.56	0.00	1.56	269.83	0.00
उप योग	**14,091.44**	**8,091.91**	(77.68)	**22,105.67**	**7,890.19**	**347.75**	(74.14)	**8,163.80**	**13,941.87**	**6,201.25**

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री /समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2024 तक	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024, तक की स्थिति के अनुसार
पिछली अवधि के आंकड़े	13,747.96	355.9	(12.42)	14,091.44	7,565.35	333.24	(8.40)	7,890.19	6,201.25	6,182.61
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	6.97	1.14	(0.10)	8.01	5.59	0.68	(0.10)	6.17	1.84	1.38
उप योग	**6.97**	**1.14**	**(0.10)**	**8.01**	**5.59**	**0.68**	**(0.10)**	**6.17**	**1.84**	**1.38**
पिछली अवधि के आंकड़े	5.69	1.28	–	6.97	5.15	0.44	–	5.59	1.38	0.54
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	384.53	539.73	(53.97)	870.29	68.32	16.85	(53.97)	31.2	839.09	316.21
2. उपयोग का अधिकार–कोयला युक्त भूमि	333.89	366.79	(25.24)	675.44	13.11	15.12	(25.24)	2.99	672.45	320.78
3. उपयोग का अधिकार–भवन	9.52	0.73	(2.03)	8.22	5.00	1.85	(1.89)	4.96	3.26	4.52
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	0.32	0.06	(0.18)	0.2	0.14	0.17	(0.18)	0.13	0.07	0.18
उप योग	**728.26**	**907.31**	**(81.42)**	**1,554.15**	**86.57**	**33.99**	**(81.28)**	**39.28**	**1,514.87**	**641.69**
पिछली अवधि के आंकड़े	470.63	262.98	(5.35)	728.26	66.1	25.71	(5.24)	86.57	641.69	404.53
मूल्यह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**			
कोयला इंवेंट्री में अंतरित मूल्यह्रास					2.33		–			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					72		38.68			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					284.45		300.05			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					23.64	382.42	20.66	359.39		
वर्ष के दौरान खरीदी गई रु 1500.00 से अधिक किन्तु रु 5000.00 से कम लागत वाली अचल परिसम्पत्तियां पूर्णतः मूल्यह्रासित की गई					0.21		0.38			

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा रु 1 /– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01अप्रैल, 2023 तक	01अप्रैल,2023 से 31,मार्च 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च,2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीजहोल्ड भूमि	50.94	80.91	–	131.85	–	–	–	–	131.85	50.94
2. जलमग्न भूमि	1,786.85	93.53	–	1,880.38	787.93	42.59	–	830.52	1,049.86	998.92
3. भवन	1,128.16	58.36	(0.35)	1,186.17	394.08	42.74	–	436.82	749.35	734.08
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.43	0.28	–	28.71	28.43	0.28	–	28.71	–	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	200.53	4.59	–	205.12	65.85	6.57	–	72.42	132.70	134.68
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	30.87	0.13	–	31.00	12.17	0.95	–	13.12	17.88	18.70
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	0.05	(0.07)	24.45	18.49	0.72	(0.05)	19.16	5.29	5.98
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,435.45	2.11	–	3,437.56	1,779.19	89.46	–	1,868.65	1,568.91	1,656.26
9. ईडीपी मशीनें	27.23	5.32	(6.53)	26.02	17.64	5.98	(6.25)	17.37	8.65	9.59
10. विद्युत अधिष्ठापन	46.81	2.50	–	49.31	13.94	1.26	–	15.2	34.11	32.87
11. पारेषण लाइन	32.67	0.41	–	33.08	20.16	1.43	–	21.59	11.49	12.51
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	84.65	8.55	(0.96)	92.24	60.19	7.02	(0.55)	66.66	25.58	24.46
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	45.45	7.87	(0.29)	53.03	24.18	3.55	(0.06)	27.67	25.36	21.27
14. वाहन	28.02	6.56	(1.98)	32.60	15.24	2.26	(1.49)	16.01	16.59	12.78
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.74	0.07	–	0.81	0.41	0.48
16. हाइड्रोलिक कार्य –बांध और स्पिलवे	5,190.00	77.29	(2.24)	5,265.05	3,378.50	104.98	–	3,483.48	1,781.57	1,811.50
17. हाइड्रोलिक कार्य –सुरंग, पेनस्टॉक, नहरें आदि	1,606.21	7.44	–	1,613.65	948.62	23.38	–	972	641.65	657.59
उप योग	**13,747.96**	**355.9**	**(12.42)**	**14,091.44**	**7,565.35**	**333.24**	**(8.40)**	**7,890.19**	**6,201.25**	**6,182.61**

(राशि करोड़ में ₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01अप्रैल, 2023 तक	01अप्रैल,2023 से 31,मार्च 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री/ समायोजन	31मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31मार्च,2023 तक की स्थिति के अनुसार
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.69	1.28	–	6.97	5.15	0.44	–	5.59	1.38	0.54
उप योग	**5.69**	**1.28**	**–**	**6.97**	**5.15**	**0.44**	**–**	**5.59**	**1.38**	**0.54**
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	383.98	0.55	–	384.53	54.26	14.06	–	68.32	316.21	329.72
2. उपयोग का अधिकार–कोयला युक्त भूमि	72.01	261.88	–	333.89	3.63	9.48	–	13.11	320.78	68.38
3. उपयोग का अधिकार–भवन	9.49	0.30	(0.27)	9.52	3.18	1.98	(0.16)	5.00	4.52	6.31
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	5.15	0.25	(5.08)	0.32	5.03	0.19	(5.08)	0.14	0.18	0.12
उप योग	**470.63**	**262.98**	**(5.35)**	**728.26**	**66.10**	**25.71**	**(5.24)**	**86.57**	**641.69**	**404.53**
मूल्यह्रास का विवरण						**पिछले वर्ष**				
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास						38.68		29.40		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास						300.05		273.90		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान						20.66	359.39	10.47	313.77	
वर्ष के दौरान खरीदी गई रु 1500.00 से अधिक किन्तु रु 5000.00 से कम लागत वाली अचल परिसम्पत्तियां पूर्णतः मूल्यह्रासित की गई						0.38		0.36		

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा रु 1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

टिप्पणी : –3

प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(राशि करोड़ में ₹)

		31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2024 तक	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान समायोजन	अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर											
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		192.32	90.62	(56.48)	(146.89)	79.57	156.74	52.20	(0.36)	(16.26)	192.32
सड़कें, पुल और पुलिया		530.41	142.28	(7.30)	(658.08)	7.31	406.53	139.47	(11.10)	(4.49	530.41
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		326.82	100.26	–	(421.70)	5.38	159.6	167.22	–	–	326.82
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		10,406.53	2,488.92	0.13	(5,635.18)	7,260.40	7,420.74	2,985.79	–	–	10,406.53
हाइड्रोलिक कार्य, बांध, स्पिलवे, जल चैनल, वीयर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		6,078.56	2,479.74	(0.07)	(5.57)	8,552.66	4,759.37	1,357.78	(0.05)	(38.54)	6,078.56
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र		115.23	6.76	–	(120.77)	1.22	108.66	6.57	–	–	115.23
विद्युत स्थापना और उप–स्टेशन उपकरण		130.29	61.04	–	(162.67)	28.66	122.64	7.76	–	(0.11)	130.29
परियोजना निर्माण से सीधे संबंधित अन्य व्यय		596.10	65.32	(0.01)	(504.92)	156.49	410.05	186.05	0.00	0.00	596.10
कोयला खदान का विकास		222.13	892.12	(597.17)	(276.94)	240.14	254.13	264.31	(296.31)	0.00	222.13
अन्य		23.67	35.02	(18.9)	(20.98)	18.81	1.91	24.31	–	(2.55)	23.67
व्यय लंबित आबंटन											
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		77.22	–	–	–	77.22	77.22	–	–	–	77.22
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	0.53	934.24			934.77	1.61	519.40			521.01
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय जो कि लाभ एवं हानि में आवंटित / प्रभारित किया गया	32.1		921.43			921.43		520.48			520.48
पुनर्वास											
पुनर्वास व्यय		198.72	94.80	(0.93)	(249.06)	43.53	111.43	145.52	–	(58.23)	198.72
कुल		**18,898.53**	**6,469.69**	**(680.73)**	**(8,202.76)**	**16,484.73**	**13,990.63**	**5,335.90**	**(307.82)**	**(120.18)**	**18,898.53**
पिछली अवधि के आंकड़े		**13,990.63**	**5,335.90**	**(307.82)**	**(120.18)**	**18,898.53**	**9,447.39**	**4,677.38**	**(39.25)**	**(94.86)**	**13,990.62**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा एसटीपीपी (दूसरी यूनिट) आदि का मूल्य शामिल है, क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, इसलिए कोई हानि नहीं होती है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के माध्यम से किया गया है।

3.3 विलंबित या लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के पूरा होने की समय–सारणी टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत बताई गई है।

टिप्पणी : –4

गैर चालू परिसंपत्तियां– सहायक कंपनी में निवेश

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी में इक्विटी लिखत–अनुद्धृत (पूर्णतः संदत्त– जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, लागत पर)					
टुस्को, ट्रेडको और टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी			51.80		40.70
कुल			**51.80**		**40.70**

टिप्पणी: –5

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		10.95		10.95	
शोध्य– अप्रतिभूत		7.87		9.00	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		14.86		16.00	
शोध्य – अप्रतिभूत		1.50		2.19	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**35.18**		**38.14**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		7.14		7.24	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		2.72	25.32	2.79	28.11
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.00**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.02
उप–कुल			**25.32**		**28.13**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल – ऋण			**25.32**		**28.13**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.00	
ब्याज		0.01		0.02	
कुल		**0.01**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.17		0.09	
ब्याज		0.03		0.03	
कुल		**0.20**		**0.12**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.09	0.11	0.02	0.10

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

5.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणीः– 5.1

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्य मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों को		14.33		0.00	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		1.20	13.13	0.00	0.00
अन्य को			0.00		0.00
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल			**13.13**		**0.00**
टिप्पणीः निदेशकों से देय					
मूलधन			0.09		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.01		0.00
कुल			**0.08**		**0.00**
टिप्पणीः अधिकारियों से देय					
मूलधन			0.03		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.00		0.00
कुल			**0.03**		**0.00**

5.1.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

5.1.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –6

गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रतिभूति जमा राशि			22.39		24.87
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां			0.00		0.00
सहायक कंपनी में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि			3.33		0.00
कुल			**25.72**		**24.87**

टिप्पणी : –7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			852.37		1,001.45
कुल			**852.37**		**1,001.45**

टिप्पणी : –8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			0.00		59.04
कुल			**0.00**		**59.04**

टिप्पणी : –9

अन्य गैर – चालू परिसंपत्ति

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			0.13		0.17
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			11.06		10.03
उप योग			**11.19**		**10.2**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (रु 479.64 करोड़ की बैंक गारंटी)		428.89		612.26	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		72.36		157.7	
iii) अन्य		526.93		813.33	
iv) अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज		382.09	1,410.27	408.78	1,992.07
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			113.64		121.94
उप–योग – पूंजीगत अग्रिम			**1,296.63**		**1,870.13**
कुल			**1,307.82**		**1,880.33**

टिप्पणी : –10

इन्वेंट्री

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत आधार या निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर) अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		0.37		1.12	
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टोर और स्पेयर्स		31.57		31.22	
कोयला इन्वेंट्री		116.09		51.43	
परिवहनाधीन कोयला इन्वेंट्री		7.59		0.00	
अन्य (स्टोर और स्पेयर सहित)		15.38		45.37	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00		2.42	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	171.00	0.00	131.56
घटाएँ: अन्य स्टोर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**171.00**		**131.56**

टिप्पणी : –11

व्यापार प्राप्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		100.03		61.96	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	100.03	0.00	61.96
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		372.70		247.44	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	372.70	0.00	247.44
(iii) अबिलीकृत देनदार			553.28		141.28
कुल			**1,026.01**		**450.68**

टिप्पणीः –12

नकदी और नकदी समतुल्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य					
बैंकों में शेष राशि (ऑटो स्वीप, बैंकों में जमा सहित)			148.22		95.61
चेक, ड्राफ्ट हाथ में			0.01		0.01
कुल			**148.23**		**95.62**

टिप्पणी : –12.1

नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
बैंक के पास निर्धारित शेष			5.96		0.00
कुल			**5.96**		**0.00**

बैंक के पास निर्धारित शेष राशि में फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि के लिए निर्धारित शेष राशि शामिल हैं।

टिप्पणी : –13

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– ऋण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		4.26		4.55	
शोध्य– अप्रतिभूत		2.26		3.01	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		1.77		1.71	
शोध्य – अप्रतिभूत		0.05		0.14	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**8.34**		**9.41**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.05		1.15	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.11	7.18	0.30	7.96
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.01	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.01		0.01	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.01**		**0.02**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02
उप–कुल			**7.19**		**7.98**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**7.11**		**7.90**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.01	
ब्याज		0.01		0.01	
कुल		**0.01**		**0.02**	

घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.01	0.00	0.02
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.04		0.03	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.03**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन	0.00	0.04	0.00	0.03	

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण नहीं दिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –14

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अग्रिम

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों के लिए		14.34		6.09	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन		2.38	11.96	0.00	6.09
अन्य को			12.88		9.54
कुल			**24.84**		**15.63**
टिप्पणी: निदेशकों से देय					
मूल राशि			0.09		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.02		0.00
कुल			**0.07**		**0.00**
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूल राशि			0.02		0.00
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन			0.00		0.00
कुल			**0.02**		**0.00**

14.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके।

14.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण नहीं दिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –15

चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा					
कस्टम विभाग के पास जमा राशि		0.02		2.36	
सरकार/न्यायालय में जमा राशि		1,491.96		1,491.59	
अन्य जमा		0.33	1,492.31	0.16	1,494.11
अन्य					
संविदा परिसंपत्तियां			134.71		0.00
कुल			**1,627.02**		**1,494.11**

15.1 सरकार/न्यायालय के पास जमा राशि में संभावित देयताओं के सापेक्ष रु1471.87 करोड़ (पिछले वर्ष रु1471.48 करोड़) का जमा और अन्य मदों के लिए रु 20.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु 20.11 करोड़) शामिल हैं।

15.2 संविदा संपत्ति कंपनी को उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में मिलने वाले भुगतान का अधिकार दर्शाती है, जो कंपनी ने ग्राहकों को दी हैं। यह अधिकार समय बीतने के अलावा अन्य बातों पर निर्भर होता है, जैसे सीईआरसी से समायोजन आदेश प्राप्त होना, आदि। इसमें ग्राहकों को दिए जाने वाले क्रेडिट को घटा दिया जाता है।

टिप्पणी : –16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			79.75		25.1
कुल			**79.75**		**25.1**

टिप्पणी : –17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			80.01		49.81
अर्जित ब्याज			0.04		0.04
निपटान हेतु रखी गई बीईआर परिसंपत्तियां			0.22		0.56
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			3.54		1.45
उप–कुल			**83.81**		**51.86**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों के लिए			0.46		0.50
खरीदारी के लिए			29.41		20.05
अन्य के लिए			120.7		35.42
			150.57		55.97
घटाएँ: विविध वसूलियों के लिए प्रावधान			14.41		14.41
उप–योग – अन्य अग्रिम			**136.16**		**41.56**
कुल			**219.97**		**93.42**

टिप्पणी : –18

विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			215.72		133.42
अवधि के दौरान निवल संचलन			69.93		82.3
अंत शेष			**285.65**		**215.72**

18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष रु 210.61 करोड़ के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है तथा "विवाद से विश्वास", "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" और "विवाद समाधान समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के कारण रु 75.04 करोड़ है।

टिप्पणी : –19

शेयर पूंजी

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
अधिकृत					
इक्विटी शेयर रु 1000/– प्रत्येक		40,000,000	4,000.00	40,000,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त रु 1000/– प्रत्येक के पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयर		36,658,817	3,665.88	36,658,817	3,665.88
कुल		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु 62.02 (विगत वर्ष रु 171.44 करोड़) की दर से रु 1000/– प्रति इक्विटी शेयर पर रु 227.34 करोड़ का अंतिम लाभांश दिया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु 120.56 (विगत वर्ष कुल रु143.85) की दर से रु 441.97 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी : –19.1

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5% से अधिक शेयरधारिता					
i. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
ii. उत्तर प्रदेश सरकार (नामिती शेयर सहित)		93,49,405	25.504	9,349,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी : –19.2

शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
निर्गत		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत शेष		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2क. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका सममूल्य रु 1000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयरधारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी : –19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (प्रारंभिक)	%	शेयरों की संख्या (अंत शेष)	%	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयर सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**	**0.00**

टिप्पणी : –20

अन्य इक्विटी

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			7,015.57		6,616.38
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			362.84		264.42
फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षिती निधि			5.05		0.00
कुल			**7,383.46**		**6,880.80**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 574(अ),दिनांक 16.08.2019 के अनुरूप, कंपनी ने बॉण्डों के मोचन के प्रयोजनार्थ बॉण्डों के मोचन के वर्ष से पहले वर्ष तक प्रत्येक वर्ष बराबर किश्तों में भावी आधार पर बॉण्डों के मूल्य के 10% की दर पर कंपनी के लाभ में से डिबेंचर मोचन आरक्षिती का सृजन किया है।

20.2 14 सितंबर 1999 की प्रमुख राजपत्र अधिसूचना में इंगित है कि प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र को राख आधारित उत्पादों के निर्माण या सड़कों, तटबंधों, बांधों, डाइक के निर्माण या किसी अन्य निर्माण गतिविधि के लिए 10 वर्षों के लिए मुफ्त राख उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी 3 नवंबर 2009 की राजपत्र अधिसूचना के तहत निर्देश दिया गया कि फ्लाई ऐश और फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों की बिक्री से एकत्र की गई राशि को एक अलग खाता शीर्ष में रखा जाना चाहिए और इसका उपयोग केवल फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए अवसंरचना या सुविधा के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, जब तक कि 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग स्तर हासिल नहीं हो जाता। वर्तमान में, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), भारत सरकार की 31 दिसंबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना, कंपनी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अलग खाते में निधि बनाए रखती है और निधि को 'नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष' (टिप्पणी संख्या 12.1) में दिखाया गया है।

टिप्पणी : –21

गैर चालू – वित्तीय देयताएं – उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
क.–प्रतिभूत बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला–VI (7.60% प्रति वर्ष 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000 /–) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		833.15
^ बांड निर्गम श्रृंखला–V (7.39: प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000 /–) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला–IV (7.45: प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000 /–) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
***बांड निर्गम सीरीज–।।। (7.19: प्रति वर्ष 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000 /–) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
**बांड निर्गम सीरीज–।। (8.75: प्रति वर्ष 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000 /–) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.43		1,574.43
*बांड निर्गम श्रृंखला–। (7.59: प्रति वर्ष 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु 1000000 /–) (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.46		622.46
कुल (क)			**5,883.67**		**5,883.67**
ख. प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से सावधि ऋण					
@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल– I) (चुकौती प्रथम 20 तिमाही किस्त 1.25%; अगली 20 तिमाही किस्त 3.75% होगी, फ्लोटिंग ब्याज दर/1 माह एमसीएलआर वर्तमान में 8.35%)			2,125.49		2,250.51
@@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–।।) (चुकौती पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्तों में 3.75% ब्याज दर पर होगी, जो कि पहली निकासी की तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद होगी। 1 महीने की एमसीएलआर दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.35% है)			2,500.57		2,460.56
@पंजाब नेशनल बैंक (5 वर्षों के भीतर रु 25 करोड़ प्रत्येक की 20 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 1 महीने की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.50%)			325.07		425.08
@@@@पंजाब नेशनल बैंक (संवितरण की तिथि अर्थात 26.03.2024 से 12 महीने की स्थगन अवधि के साथ 36 सुव्यवस्थित त्रैमासिक किस्तों में 9 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, 1 माह की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.50% है)			680.72		200.04
@@@पंजाब नेशनल बैंक (पहली संवितरण की तिथि अर्थात 26.11.2024 से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद, 1.25: की पहली 20 त्रैमासिक किस्तों, 3.75% की अगली 20 त्रैमासिक किस्तों में चुकौती योग्य, रेपो रेट + प्रसार की दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 7.85% है)			500.11		0.00
@@@केनरा बैंक (पहली संवितरण की तिथि अर्थात 04.12.2024 से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद, 1.25% की पहली 20 त्रैमासिक किस्तों, 3.75% की अगली 20 त्रैमासिक किस्तों में चुकौती					

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
योग्य, रेपो रेट + प्रसार की दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 7.85% है)			452.04		0.00
कुल (ख)			**6,584.00**		**5,326.19**
ग. अप्रतिभूत					
बांड जारी श्रृंखला–VII (7.88% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु1000000/–) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		612.31
बांड निर्गम श्रृंखला–VIII (7.76% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 13.09.2033)			795.44		795.44
बांड निर्गम श्रृंखला–IX (7.93% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 16.01.2034)			791.69		791.69
बांड निर्गम श्रृंखला–X (7.76% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 29.05.2034)			798.95		0.00
बांड निर्गम श्रृंखला–XI (7.72% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 03.09.2034)			626.65		0.00
बांड निर्गम श्रृंखला–XII (7.73% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु100000/–) (मोचन की तिथि 18.02.2035)			706.23		0.00
$विश्व बैंक ऋण –8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए) 15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक अर्धवार्षिक किस्त पर 23 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, ब्याज दर /एसओएफआर + परिवर्तनीय प्रसार वर्तमान में 5.49%)			2,948.67		1,836.20
कुल (ग)			**7,279.94**		**4,035.64**
कुल (क+ख+ग)			**19,747.61**		**15,245.50**
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण– प्रतिभूत			427.78		225.00
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			157.56		106.56
उधार पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज			434.31		335.14
कुल			**18,727.97**		**14,578.80**

*बांड श्रृंखला I टिहरी एचपीपी स्टेज–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**बांड श्रृंखला II, वही ऋणों सहित टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

***बांड श्रृंखला III, पाटन और द्वारका के कोटेश्वर एचईपी और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*बांड श्रृंखला IV, V और VI टिहरी स्थित पंप स्टोरेज संयंत्र की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण।

@@कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर सभी पारी पासु आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण।

@@@खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण।

@@@@टिहरी पीएसपी की मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण।

$संबंधित ऋण रैंकिंग के तहत वित्तपोषित उपकरणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार के साथ।

21.1 इस अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे किसी भी प्रकार के आरोप या संतुष्टि का कोई मामला पंजीकृत नहीं है।

21.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम राशि इस समझ के साथ नहीं ली है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –22

गैर चालू – वित्तीय देयताएं – पट्टा

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			40.00		36.85
घटाएँ: पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			3.41		3.20
कुल			**36.59**		**33.65**

टिप्पणी : –23

गैर–चालू वित्तीय देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकार से जमा प्रतिधारण राशि आदि		123.95		85.85	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		11.14	112.81	15.18	70.67
कुल			**112.81**		**70.67**

टिप्पणी : –24

अन्य गैर–चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के खाते में आस्थगित राजस्व			167.12		174.72
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			520.03		546.64
आस्थगित उचित मूल्यांकम लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			11.14		15.18
कुल			**698.29**		**736.54**

टिप्पणी : –25

गैर चालू प्रावधान (कोष्टक में दिए गए आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल 2024 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग मार्च 2025	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी संबंधी		160.78	13.15	0.00	0.00	173.93	168.56	1.12	(8.90)	0.00	160.78
अन्य		2.42	0.00	0.00	(2.42)	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
कुल		**163.2**	**13.15**	**0.00**	**(2.42)**	**173.93**	**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.2**
पिछली अवधि के आंकड़े		**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.2**	**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**

25.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.24 में किया गया है।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : –26

चालू– वित्तीय देयताएं– उधार

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
#पंजाब नेशनल बैंक			500.00		500.00
##बैंक ऑफ बड़ौदा			500.00		500.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक			901.77		552.8
***एचडीएफसी बैंक			0.00		18.88
****बैंक ऑफ बड़ौदा			373.77		65.64
*भारतीय स्टेट बैंक			129.81		139.72
कुल (क)			**2,405.35**		**1,777.04**

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			326.03		0.00
कुल (ख)			**326.03**		**0.00**
ग. दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत*			427.78		225.00
अप्रतिभूत*			157.55		106.56
कुल (ग)			**585.33**		**331.56**
कुल (क+ख+ग)			**3,316.71**		**2,108.60**

टिहरी पीएसपी की चल अचल संपत्तियों पर समान आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य की दोनों चल अचल संपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

* कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** टिहरी स्टेज–1 की संपत्तियों और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत, जिसमें चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और परियोजना स्थल पर सामग्री शामिल है। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है

*** कंपनी संयंत्र– पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकुवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर चार्ज के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की सुरक्षा टिप्पणी संख्या 21 में @@ के तहत बताई गई है।

* ऊपर बताए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता के ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में विवरण टिप्पणी–21 में प्रकट किए गए हैं।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

26.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 टिप्पणी संख्या 43.13 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार का अतिरिक्त प्रकटीकरण।

टिप्पणी:–27

चालू – वित्तीय देयताएं– पट्टा

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			3.41		3.20
कुल			**3.41**		**3.20**

टिप्पणी : –28

चालू– वित्तीय देयताएं– अन्य

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए		0.23		2.58	
अन्य के लिए		549.91	550.14	419.29	421.87
जमा राशि, संविदाकारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि आदि।		996.79		818.48	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	996.79	0.00	818.48
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00		0.00	
अन्य देयताएं			**13.58**		**282.86**
अर्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		434.80		335.55	
अन्य देयताएं		**0.00**	**434.8**	**0.00**	**335.55**
कुल			**1,995.31**		**1,858.76**

टिप्पणी : –29

अन्य चालू देयताएं

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के खाते में आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			136.56		133.84
सिंचाई घटक में अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		921.15		894.54	
घटाएं:–					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		897.52	23.63	873.89	20.65
कुल			**167.79**		**162.09**

टिप्पणी : –30

चालू प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए					31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल 2024 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग मार्च 2025	31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार
कार्य		5.48	0.69	(5.48)	0.00	0.69	31.49	5.48	(1.06)	(30.43)	5.48
कर्मचारी संबंधी		285.63	90	(1.53	(33.54)	340.56	293.71	44.32	(4.97)	(47.43)	285.63
भूमि अधिग्रहण से संबंधित दायित्व		0.00	73.53	0.00	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्यस्थता एवार्ड		0.00	475.7	0.00	0.00	475.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य		19.64	45.67	(4.14)	(29.16)	32.01	27.87	30.44	(4.94)	(33.73)	19.64
कुल		**310.75**	**685.59**	**(11.15)**	**(62.70)**	**922.49**	**353.07**	**80.24**	**(10.97)**	**(111.59)**	**310.75**
पिछली अवधि के आंकड़े		**353.07**	**80.24**	**(10.97)**	**(111.59)**	**310.75**	**348.62**	**171.91**	**(81.34)**	**(86.12)**	**353.07**

30.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.24 में किया गया है।

30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों के लिए प्रावधान शामिल हैं

टिप्पणी : –31

चालू कर देयताएं (निवल)

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
प्रारंभिक जमा			0.00		9.82
अवधि के दौरान परिवर्धन			185.54		86.05
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(161.98)		(95.87)
अंत शेष			**23.56**		**0.00**

टिप्पणी : –32

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			680.37		497.46
अवधि के दौरान निवल संचलन			(149.08)		182.91
अंत शेष			**531.29**		**680.37**

टिप्पणी : –32.1

निर्माण के दौरान व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		203.07		168.47	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		42.41		31.85	
कल्याण		12.93		10.50	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.13	258.54	0.33	211.15
अन्य व्यय	**37**				
किराया					
कार्यालय का किराया		1.25		1.00	
कर्मचारी आवास का किराया		0.64	1.89	0.25	1.25
दर और कर			0.39		0.63
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
बिजली और ईंधन			17.79		15.23
बीमा			0.13		0.21
संचार			1.52		1.28
मरम्मत और रखरखाव					
संयत्र और मशीनरी		6.33		0.00	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		2.29		2.98	
अन्य		11.23	19.85	10.12	13.10
यात्रा एवं परिवहन			2.53		2.75
वाहन किराये पर लेना और चलाना			14.48		11.01
सुरक्षा			14.82		11.68
प्रचार एवं जनसंपर्क			0.36		0.27
अन्य सामान्य व्यय			67.60		42.88
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.11		0.08
प्रारम्भण–पूर्व व्यय (निवल)			13.18		0.00
खदान संचालन लागत			451.97		172.46
सर्वेक्षण और जांच व्यय			0.51		0.50
परामर्श परियोजना / संविदा पर व्यय			1.25		0.86
अन्य ब्याज	**36**		**8.74**		**22.92**
मूल्यह्रास	2		72.00		38.68
कुल व्यय (क)			**947.66**		**546.94**
प्राप्तियां					
अन्य आय	**34**				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.99		0.09	
कर्मचारियों से		0.83		0.58	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		0.13		0.33	
अन्य से		0.50	2.45	0.11	1.11
मशीन किराया शुल्क			0.26		0.08
किराया प्राप्तियां			1.83		1.34
विविध प्राप्तियां			4.03		5.49
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			6.65		20.78
कुल प्राप्तियां (ख)			**15.22**		**28.8**
कर–पूर्व निवल व्यय			932.44		518.14
कराधान के लिए प्रावधान	39				
कराधान सहित निवल व्यय			932.44		518.14
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ / (हानि)	41		(1.79)		(1.24)
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			0.53		1.62
कुल ईडीसी			**934.76**		**521**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी / परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		903.9		508.57	
स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की ईडीसी लाभ एवं हानि खाते में जमा की जाएगी		17.53	921.43	11.91	520.48
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेणीत शेष			**13.33**		**0.52**

टिप्पणी : –33

प्रचालन से राजस्व

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
बिजली की बिक्री के सापेक्ष लाभार्थियों से आय		2,592.53		1,919.42	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.59	
घटाएं					
ग्राहकों को छूट		5.14	2,594.99	7.11	1,919.90
कोयले की बिक्री			43.51		0.00
विचलन निपटान/ संकुलन प्रभार			17.45		20.88
परामर्श आय			26.85		26.46
फ्लाई ऐश/राख उत्पादों की बिक्री		5.05		0.00	
घटाएँ: फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि में अंतरित		5.05	0.00	0.00	0.00
कुल			**2,682.80**		**1,967.24**

33.1 कंपनी ने टिहरी जल विद्युत परियोजना और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण और 2024–29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिकाओं हेतु माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष ट्रूइंग–अप टैरिफ याचिकाएँ दायर की हैं। उपरोक्त याचिकाओं के अनुसार टैरिफ निर्धारण लंबित रहने तक, चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व मान्यता सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 और 2024 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक स्थिर शुल्क (एएफसी) के आधार पर की गई है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ याचिका हेतु माननीय सीईआरसी के दिनांक 08.11.2024 के आदेश के अनुसार राजस्व प्रभाव को भी वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

33.2 कंपनी ने खुर्जा थर्मल पावर परियोजना (यूनिट I X 660 मेगावाट) और समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इसके वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 2024–29 की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष टैरिफ याचिकाएँ दायर की हैं। उपरोक्त याचिका के अनुसार टैरिफ निर्धारण लंबित रहने तक, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार परिवर्ती शुल्कों सहित वार्षिक स्थिर शुल्कों के आधार पर राजस्व मान्य किया गया है।

33.3 सीईआरसी ने 15 मार्च 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, टैरिफ अवधि 2024–29 के लिए टैरिफ विनियम, 2024 अधिसूचित किए। कंपनी की कैप्टिव खदानों से निकाले गए और उत्पादन केंद्रों को आपूर्ति किए गए कोयले को इन विनियमों को ध्यान में रखते हुए लेखाकित किया गया है।

33.4 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे हो जाने के कारण, पूर्व में स्वीकृत एवं आस्थगित आय के रूप में मानी गई एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.5 लाभार्थियों से आय में चालू वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की बिक्री) रु 75.42 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु 42.88 करोड़ तथा पिछले वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा रु50.45 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु 8.02 करोड़ शामिल है।

टिप्पणी : –34

अन्य आय

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ब्याज					
बैंक जमा पर (रु 556343.00, पिछली अवधि रु 72885.00 टीडीएस सहित)		1.83		0.90	
कर्मचारियों से		1.78		1.73	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		1.63		3.42	
अन्य		0.70	5.94	0.16	6.21
मशीन किराया शुल्क			0.26		0.08
किराया प्राप्तियां			3.26		3.25
विविध प्राप्तियां			16.54		28.42
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.01		0.01
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.32		0.15
विलंबित भुगतान अधिभार			12.78		15.48
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			6.54		20.73
कुल			**45.65**		**74.33**
घटाएं:					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.85		0.68
ईडीसी में अंतरित	32.1		15.22		28.80
कुल			**29.58**		**44.85**

टिप्पणी : –35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			471.03		435.20
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान			102.00		87.03
कल्याण व्यय			65.39		26.67
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			1.64		3.42
कुल			**640.06**		**552.32**
घटाएं:					
कोयला इंवेंट्री के लिए आबंटित			1.36		0.00
ईडीसी में अंतरित	32.1		258.54		211.15
कुल			**380.16**		**341.17**

टिप्पणी : –36

वित्त लागत

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
वित्तीय लागत					
बांड पर ब्याज			689.75		532.08
घरेलू ऋण पर ब्याज			610.29		426.21
विदेशी ऋण पर ब्याज			152.40		101.66
नकदी ऋण पर ब्याज			76.51		54.69
एफईआरवी			61.88		23.66
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			2.40		0.21
अन्य ब्याज			9.51		23.84
कुल			**1,602.74**		**1,162.35**
घटाएं:					
अंतरित और सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत			1,188.35		980.78
ईडीसी में अंतरित अन्य ब्याज	32.1		8.74		22.92
कुल			**405.65**		**158.65**

टिप्पणी : –37

उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
किराया					
कार्यालय का किराया		1.42		1.10	
कर्मचारियों के आवास का किराया		1.51	2.93	0.66	1.76
दर और कर			2.25		3.42
जल उपयोग शुल्क			129.86		126.37
बिजली और ईंधन			31.18		28.32
बीमा			51.33		41.95
संचार			6.26		5.75
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		103.96		71.42	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		6.84		5.47	
भवन		33.12		31.44	
अन्य		39.38	183.3	57.26	165.59
यात्रा एवं परिवहन			8.08		7.68
वाहन किराये पर लेना और चलाना			29.77		24.88
सुरक्षा			71.05		75.95
प्रचार एवं जनसंपर्क			5.99		4.38
अन्य सामान्य व्यय			164.64		164.92
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.35		0.35

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			1.65		0.47
खरीदे गए कोयले की लागत			213.71		0.00
प्रारम्भण पूर्व व्यय (निवल)			13.17		0.00
खदान संचालन लागत			451.97		172.46
सर्वेक्षण और जांच व्यय			18.35		15.55
अनुसंधान एवं विकास			9.86		3.73
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			11.54		8.31
सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर व्यय			10.67		34.27
कुल			**1,417.91**		**886.11**
घटाएं:					
कोयला इंवेंट्री के लिए आबंटित			17.63		0.00
ईडीसी में अंतरित	32.1		608.38		274.19
कुल			**791.90**		**611.92**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी टिप्पणी संख्या 43.19 के तहत प्रकट की गई है।

37.2 अन्य सामान्य व्ययों में "विवाद से विश्वास" और "विवाद समाधान समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/देय ब्याज के रूप में 11.94 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसके सापेक्ष विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

टिप्पणी : –38

प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.00
स्टोर और स्पेयर्स के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**
घटाएं:					
ईडीसी में अंतरित	32.1		0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी : –39

कराधान के लिए प्रावधान

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
चालू वर्ष			148.97		103.62
उप योग			**148.97**		**103.62**
कुल			**148.97**		**103.62**

टिप्पणी : –40

विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन			219.01		(100.61)
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(38.27)		17.58
कुल			**180.74**		**(83.03)**

टिप्पणी : –41

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(11.44)		(8.46)
उप योग			(11.44)		(8.46)
घटाएं:					
ईडीसी में अंतरित	32.1		(1.79)		(1.24)
कुल			**(9.65)**		**(7.22)**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 और 2024–29 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उद्‌गृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती हैं।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 (पूर्व में वित्त वर्ष 2021–22 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित

आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों / मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पूर्णतः क्रियाशील परियोजनाओं नामतः टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), पाटन पवन परियोजना (50 मेगावाट), द्वारका पवन परियोजना (63 मेगावाट), ढुकवां परियोजना (24 मेगावाट) और कासरगोड सौर परियोजना (50 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई थी क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की किसी महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है।

43. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) रु 1161.81 करोड़ (पिछला वर्ष रु 2886.71 करोड़) है।
2. आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रकटीकरण

आकस्मिक देयताएं

कंपनी के सापेक्ष दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में नहीं माना गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना तथा विभिन्न पूंजीगत कार्यों जैसे बांध, स्पिलवे, पावर हाउस आदि के निर्माण के लिए कुछ संविदाकारों ने दर और मात्रा विचलन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के रुकने / साइट को सौंपने में देरी आदि के कारण निष्क्रियता प्रभार के लिए कंपनी के सापेक्ष कुल रु 2379.87 करोड़ (पिछला वर्ष रु 2744.71 करोड़) का दावा किया है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए संविदाओं में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। समाधान के लिए लंबित ऐसे दावों के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह, यदि कोई हो, का यथार्थवादी अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(ii) भूमि मुआवजा संबंधी मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, पूर्ववर्ती भू–स्वामियों ने विभिन्न प्राधिकरणों / न्यायालयों के समक्ष रु 42.10 करोड़ (पिछला वर्ष रु 35.81 करोड़) की उच्च क्षतिपूर्ति आदि का दावा किया है, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है।

(iii) राज्य / केंद्रीय सरकार के विभाग / प्राधिकरण

जल कर, हरित उपकर, रॉयल्टी, श्रम उपकर, गृह कर आदि के संबंध में कुल रु 1400.89 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष में रु 1338.60 करोड़) के दावे विभिन्न राज्य / केन्द्र सरकार के विभागों / प्राधिकरणों आदि द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों / मंचों के समक्ष दर्ज कराए गए हैं तथा निपटान हेतु लंबित हैं।

उपरोक्त (i) से (iii) के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति

उपरोक्त (i) एवं (ii) में शामिल दावों के संबंध में, दावों के निपटान पर कंपनी द्वारा किए गए भुगतान, यदि कोई हों, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पूंजीगत लागत में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे, जो सीईआरसी द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन होंगे। बिंदु (iii) के मामले में, विनियमों के अनुसार वसूली के माध्यम से अनुमानित संभावित प्रतिपूर्ति रु 1143.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1,096.07 करोड़) है।

(iv) विवादित कर संबंधी मामले

विभिन्न मंचों के समक्ष रु 50.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.15 करोड़) मूल्य के विवादित आयकर, बिक्री कर, सेवा कर मामले लंबित हैं। इन मामलों की कार्यवाही अभी भी निपटान हेतु प्रगति पर है।

(v) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में रु 23.27 करोड़ (पिछले वर्ष रु 5.84 करोड़) के दावे विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित हैं।

उपर्युक्त का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
क	पूंजीगत कार्य	2379.87	2744.71
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	42.10	35.81
ग	राज्य / केन्द्र सरकार के विभाग / प्राधिकरण	1400.89	1338.60
घ	विवादित कर संबंधी मामले	50.50	2.15
ड.	अन्य	23.27	5.84
च	**कुल योग**	**3896.63**	**4127.11**
छ	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम / अदालती मुकदमें / आयकर / व्यापार कर आदि मामलों के संबंध में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	1471.87	1471.48

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

सीईआरसी टैरिफ विनियमन में बिल प्रस्तुत करने की तिथि से निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक लाभार्थियों द्वारा भुगतान में देरी के मामले में उत्पादन कंपनियों द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार लगाने का प्रावधान है। हालांकि, कंपनी द्वारा अनुमानित आंशिक बिलों के सापेक्ष कुछ लाभार्थियों से उक्त अधिभार के अंतिम संग्रह में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को देखते हुए, रु 0.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.34 करोड़) की राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

3. ईएमडी / एसडी के विरुद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर / सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने रु 5.35 करोड़ एवं रु 4.58 करोड़ (पिछला वर्ष रु 4.38 करोड़ तथा रु 5.55 करोड़) की एफडीआर / सीडीआर क्रमशः ईएमडी / प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा कंपनी ने टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार संविदाकारों से रु 1120.74 करोड़ (पिछला वर्ष रु 904.33 करोड़) की राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए रु 1.22 करोड़ (पिछला वर्ष रु 1.34 करोड़) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत और ईडीसी को अंतरित उधारी लागत की राशि टिप्पणी 36 के अनुसार क्रमशः रु 1188.35 करोड़ और रु 8.74 करोड़ (पिछला वर्ष रु 980.78 करोड़ और रु 22.92 करोड़) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में रु 54.71 करोड़ (पिछले वर्ष रु 19.20 करोड़) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून 1987 के पत्र संख्या 8–32 / 06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24 / 25, जून 2004 के पत्र सं. 8 / 32 / 86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलनग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट / प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट / प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585 / टिहरी डेम प्रोजेक्ट / 23– सी–4 / टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रुप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (रु करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय

संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.003	0 .00	निजी भूमि	नहीं	2009 से 2011 के बीच अधिग्रहीत	तहसील, चमोली, राजस्व विभाग, उत्तराखंड में 0.003 हेक्टेयर भूमि का म्यूटेशन प्रगति पर है।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार –परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	255.70	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	37.95	402.36	एनएचएआई / सरकार	नहीं	25.01.2025	एनएनच–91 (राजमार्ग की भूमि और निर्माण लागत) की रिरूटिंग
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	49.28	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	6.88	0.83	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	8.66	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91	20.62	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	246.04	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	4.36	2.45	रेलवे की भूमि	नहीं	30.09.2024	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	0.76	4.71	सरकारी भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	753.63	171.84	वन भूमि	नहीं	17.02.2025	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया रु 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (रु करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकारी/ वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91.00	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	261.88	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया रु 49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 12 फ्लैट (पिछला वर्ष 12 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य रु 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.02 करोड़) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में हैं। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित रु 0.001 करोड़ की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और संविदाकार एच सी सी के वित्तीय संकट के कारण वीपी एचईपी परिणाम के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 396.21 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके हैं। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर हैं। विश्व बैंक ने दिसम्बर, 2026 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी हैं। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल संविदाकार मैमर्स एच सी सी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैमर्स एच सी सी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला भंडार निकालना शुरू कर दिया है और सीईआरसी विनियमन में उल्लिखित शर्तों के पूरा होने के बाद खदान को 18.02.2025 को 0:00 बजे (सीओडी) वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है। समझौते के अनुसार, खान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ), मेसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड भूमि सुधार, संरचना के विघटन और खदान बंद करने (प्रगतिशील और अंतिम) गतिविधियों पर होने वाले व्यय के प्रति दायित्वों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, जो अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार आवश्यक है। तदनुसार, खदान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए रु 4.56 करोड़ और वित्त वर्ष 2025–26 के लिए रु 4.79 की राशि जमा की गई है।

(iv) खुर्जा ताप विद्युत परियोजना की क्षमता 1320 मेगावाट है, जिसमें 660 मेगावाट की दो इकाइयाँ शामिल हैं। केएसटीपीपी की पहली इकाई को 26.01.2025 को 0:00 बजे (सीओडी) वाणिज्यिक संचालन हेतु घोषित किया गया है और सीईआरसी विनियमों के अनुसार राजस्व मान्य किया गया है।

(v) सीईआरसी ने दिनांक 08.11.2024 के आदेश के तहत मेसर्स पीसीएल इंटरटेक लेनहाइड्रो कंसोर्टियम जेवी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय में जमा रु 475.70 करोड़ की मूल राशि के लिए टैरिफ को अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमति दी है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, उपरोक्त राशि को प्रावधान के अनुरूप क्रेडिट के साथ पूंजीकृत किया गया है और इसके लिए राजस्व को सीईआरसी विनियमों के अनुसार मान्यता दी गई है।

(vi) वर्ष के दौरान निपटाए गए "विवाद समाधान समिति (डीआरसी)" और "विवाद से विश्वास–ii" योजना के तहत संदत्त / देय रु 96.88 करोड़ के दावे मेसर्स केसीटी एंड ब्रोस सी.एस. लिमिटेड (मेसर्स केसीटी) रु 94.83 करोड़ और मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (मेसर्स जेएएल) रु 2.05 करोड़, जिसमें मूलधन राशि रु 84.93 करोड़ (मेसर्स केसीटी रु 83.53 करोड़ और मेसर्स जेएएल रु 1.40 करोड़) और ब्याज राशि रु 11.95 करोड़ (मेसर्स केसीटी 11.30 करोड़ और मेसर्स जेएएल रु 0.65 करोड़) शामिल है "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" के तहत रु 84.93 करोड़ की मूलधन राशि और "उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय" के तहत रु 11.95 करोड़ की ब्याज राशि का पूंजीकरण करते हुए लेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, रु 11.95 करोड़ की ब्याज राशि के लिए, विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

8. (i) दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (रु करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,344.16	3,537.19	1,634.94	5,968.44	16,484.73
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,192.83	4,514.59	2,968.58	6,222.53	18,898.53
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–

(ii) 31.03.2025 और 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

(रु करोड़ में)

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (रु करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	67.47	–	–	–	67.47
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1254.79	774.99	–	–	2029.78
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.00	–	–	–	569.00
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1279.44	800.00	476.51	–	2555.95

9. दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग + घ + ङ)
				6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –शोध्य समझा गया	961.20	552.12	186.33	155.29	21.25	42.93	0.43	2.85	961.20
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां–जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	64.81	1.16	1.54	38.55	3.21	8.28	0.28	11.79	64.81
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां–जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1026.01**	**553.28**	**187.87**	**193.84**	**24.46**	**51.21**	**0.71**	**14.64**	**1026.01**

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग + घ + ङ)
				6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –षोध्य समझा गया									
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां–जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(रु करोड़ में)

(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	75.79*	–	7.16	52.40	–	0.28	–	15.95	75.79
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**450.68**	**141.28**	**108.05**	**171.23**	**10.61**	**0.71**	**0.91**	**17.90**	**450.68**

*कुल रु 90.90 करोड़ के विवादित देनदारों के विरुद्ध रु 15.11 करोड़ की प्राप्ति के बाद।

10. दिनांक 31.03.2025 और 31.03.2024 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

परियोजना	भुगतान की देय तिथि (लेनदेन की तिथि) से निम्नलिखत अवधियों के लिए बकाया				कुल (रु करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.02	–	–	–	2.02
(ii) अन्य	51.92	0.94	0.27	0.37	53.50
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(रु करोड़ में)

परियोजना	भुगतान की देय तिथि (लेनदेन की तिथि) से निम्नलिखत अवधियों के लिए बकाया				कुल (रु करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	1.51	–	–	–	1.51
(ii) अन्य	51.15	0.50	0.13	0.51	52.29
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण:

(रु करोड़ में)

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष रु करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31–03–2025	31–03–2024	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.02	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(रु करोड़ में)

वित्त वर्ष 2024–25	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक / विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	122.26	122.26	–	शून्य
सितम्बर–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	259.01	259.01	–	शून्य
दिसंबर–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	269.50	269.50	–	शून्य
मार्च–25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	259.12	259.12	–	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटीकरण "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी / संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड
: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
: टीएचडीसीआईएल – यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

(iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमा.	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री आर. के. विश्नोई*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जारी
2	श्री शैलेंद्र सिंह **	निदेशक (कार्मिक)	जारी
3	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	जारी
4	श्री सिपन कुमार गर्ग	निदेशक (वित्त)	17.08.2024 से
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
2	श्री अजय तिवारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.05.2024 तक
3	श्री पीयूष सिंह	गैर – कार्यकारी निदेशक	11.06.2024 से
4	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.07.2024 तक
5	श्री वीरेन्द्र मलिक	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.07.2024 से
6	श्री एस.एन. त्रिपाठी	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.09.2024 तक
7	श्री के.एस. सुंदरम	गैर – कार्यकारी निदेशक	24.10.2024 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	09.11.2024 तक
2	डॉ. बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	09.11.2024 तक
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री अजय कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26.09.2024 तक
2	श्री सिपन कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	27.09.2024 से
3	श्रीमती रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी

(*) 01.03.2024 से 31.05.2024 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(**) 01.06.2024 से 16.08.2024 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है।

संवद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को रु 16.33 करोड़ वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.496 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारो (सहायक कंपनी) के साथ संव्यवहार इस प्रकार हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	सहायक कंपनी	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	3.34	7.15
किया गया इक्विटी अंशदान (लंबित आबंटन सहित)	14.43	14.60
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	0.00	0.00
अन्य	**1.83**	**1.03**

(ii) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (सेवोपरांत लाभ योजनाए) निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2024–25	2023–24
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	33.07	30.89
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	4.24	33.56
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	11.64	9.77

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय रु 2.97 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2.90 करोड़) है।

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.63	2.67
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.34	0.23
3	सेवांत लाभ		–
4	शेयर आधारित भुगतान		–
	कुलयोग	**2.97**	**2.90**

(iv) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा/संव्यवहार की प्रकृति	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	1136.07	767.64
बीएचईएल	सेवा संविदा के साथ उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद	307.98	701.63
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश	169.36	351.20
एनटीपीसी लिमिटेड	कोयले की बिक्री	811.46	368.86
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्श सेवा और परीक्षण प्रभार	6.47	14.72
एनटीपीसी लिमिटेड	प्रचार एवं प्रशिक्षण व्यय	0.60	0.39
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	67.89	49.86
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों का स्थानांतरण, परामर्श शुल्क, विद्युत लाइन डायवर्जन	0.99	3.43
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	88.69	47.08
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जल और बिजली शुल्क	31.88	24.24
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	जनशक्ति आपूर्ति सेवाएँ	11.92	13.81
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बिजली प्रभार	4.60	7.36
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एसएलडीसी प्रभार	9.43	7.32
आरआईटीईएस	परामर्श सेवा	9.59	14.46
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	9.56	4.22
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड, एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति आपूर्ति	22.22	11.80
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ईंधन की खरीद	89.96	0.00
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	51.79	2.46
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	45.75	0.27
सीएमपीडीआईएल	परामर्श	3.93	4.86
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	बिजली की बिक्री और सब्सक्रिप्शन शुल्क	33.42	0.02
वैप्कोस लिमिटेड	परामर्श	3.46	1.55
बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	टिकट बुकिंग	1.12	1.01
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एनआरएलडीसी प्रभार	1.05	1.37
अन्य संबंधित पक्षकार	विविध	14.04	5.59

(ग) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय/(संदेय) राशि		
	–एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी)	(27.72)	(31.74)
	–सहायक कंपनियां	शून्य	शून्य
ख	वसूलनीय राशि		
	–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.48	0.19

(रु करोड़ में)

	–सहायक कंपनी	12.55	9.21
	–अन्य	0.00	1.32
ग.	संदेय राशि		
	–रोजगारोपरांत हितलाभ योजनाएं	11.17	30.20
	–एनटीपीसी लिमिटेड (लाभांश)	0.00	201.14

(घ) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 27 – पृथक वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
टुस्को लिमिटेड (12.09.2020 को निगमित)	भारत	74%	74%
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को निगमित)	भारत	74%	74%
टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (01.12.2023 को निगमित)	भारत	74%	74%

16. इंडएएस 33 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	2024–25	2023–24
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रु)	552.17	682.11
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रु)	732.91	599.08
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं। रु बेसिक रु तनुकृत	 150.62 150.62	 186.07 186.07
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है रु बेसिक रु तनुकृत	 199.93 199.93	 163.42 163.42
प्रति शेयर अंकित मूल्य रु में	रु 1000	रु 1000

17. (क) आय कर व्यय

लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2024 के समाप्त अवधि के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	148.97	103.62
विगत वर्षों के लिए समायोजन	–	–
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	38.27	(17.58)
कुल चालू कर व्यय (ख)	187.24	86.04
आस्थिगत कर व्यय		
स्थायी अंतर की उत्पत्ति और रिवर्सल	116.91	14.01
मैट क्रेडिट पात्रता	32.17	(199.44)
कुल आस्थगित कर व्यय (ग)	149.08	(185.43)
आय कर व्यय (घ = ख+ग–क)	298.05	(81.81)
जोड़ें: विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित	38.27	(17.58)
घटाएं: अन्य व्यापक आय पर कर	1.69	(2.52)
विनियामक आस्थगित खाता शेष और ओसीआई में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	**334.63**	**(96.87)**

(ख) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 आयकर के अनुसरण में आस्थगित कर परिसंपत्ति में रु 149.08 करोड़ की निवल कमी को लाभ हानि विवरण में दर्ज किया गया है।

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	आस्थगित कर संपत्ति (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	525.27	657.88
(ii)	प्रारंभिक इंड एएस समायोजन	4.87	4.87
(iii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	68.37	68.37
(iv)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	48.56	48.56
(v)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	67.78	52.08
(vi)	एनएटी क्रेडिट पात्रता	167.27	199.44
	उप योग – क	**882.12**	**1,031.20**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	35.72	35.72
(ii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(4.72)	(4.72)
(iii)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	(0.01)	(0.01)
(iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	(1.24)	(1.24)
	उप योग– ख	**29.75**	**29.75**
	निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियां (क–ख)	**852.37**	**1,001.45**

(ग) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु 255.96 करोड़ (आयकर विभाग द्वारा आयकर मांग के सापेक्ष समायोजित रु 104.57 करोड़ का निवल योग) को मैट क्रेडिट पात्रता के रूप में मान्यता दी गई। उपलब्ध कुल मैट क्रेडिट में से, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु 58.52 करोड़ का उपयोग किया गया और चालू वित्त वर्ष के दौरान रु 32.17 करोड़ का उपयोग किया गया है। 31.03.2025 तक उपलब्ध निवल मैट क्रेडिट रु 167.27 करोड़ (31.03.2024 : रु 199.44 करोड़) है।

18. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

19. क. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 31.03.2025	वित्त वर्ष 31.03.2024
क.	**वर्ष के दौरान व्यय के लिए अपेक्षित राशि**		
i.	सकल राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार औसत निवल लाभ का 2%)	17.62	22.35
ii.	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	–	–
iii.	पिछले वर्ष से उपलब्ध सेट–ऑफ	10.40	0.45
iv.	वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(i)+(ii)–(iii)]	7.22	21.90
ख	**वर्ष के दौरान व्यय के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि**	**17.62**	**22.35**
ग.	**वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय राशि**		
	क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–
	ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	21.91	34.27
	कुल	**21.91**	**34.27**
घ.	आगामी वर्षों के लिए अनुपलब्ध सेट–ऑफ	3.45	1.97
ड.	आगामी वर्षों के लिए उपलब्ध सेट ऑफ	11.24	10.40
च.	वर्ष के दौरान अव्ययित राशि	–	–
छ.	चालू परियोजना के सापेक्ष अंतिम अव्ययित राशि	0.07	0.07

टिप्पणी:– आगामी वर्षों में उपलब्ध सेट ऑफ को वर्ष के दौरान एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है और टिप्पणी संख्या 17– "अन्य चालू परिसंपत्तियां" के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

i) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–
ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	20.82	1.09	21.91

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(रु करोड़ में)

विवरण	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
क) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	–	–	–
ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य उद्देश्य	34.27	–	34.27

(ii) सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी न्यास को अंशदान का ब्यौरा

(रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
सेवा टीएचडीसी को दिया गया अंशदान	16.33	22.66

(iii) मुख्य शीर्ष के तहत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	3.57	5.34
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.12	12.39
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.10	0.20
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	1.58	1.24
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	3.17	10.28
6.	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के हितलाभ के लिए उपाय	–	
7.	खेलकूद का संवर्धन	1.80	1.94
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	–	0.00
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण	–	
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.99	1.86
11.	आपदाएं	–	
12.	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.58	1.02
	कुल	**21.91**	**34.27**

(iv) अतिरिक्त व्यय की गई राशि जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाई गई :

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 के समाप्त वर्ष
अथशेष	10.40	0.45
वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि	17.62	22.35
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	21.91	34.27
निम्नलिखित में मान्य की गई राशि:		
तुलनपत्र	11.24	–
लाभ एवं हानि विवरण	10.67	34.27
कुल	**21.91**	**34.27**
अंतशेष	**11.24**	**10.40**

ख. अनुसंधान और विकास व्यय:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर रु 16.23 करोड़ (पूंजी – रु 6.37 करोड़ और राजस्व – रु 9.86 करोड़) [पिछला वर्ष रु 5.97 करोड़ (पूंजी – रु 2.24 करोड़ और राजस्व – रु3.73 करोड़), व्यय किए हैं]

20. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2025 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(रु करोड़ में)

		2024–2025	2023–2024
क.	**किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि**		
i)	मूल धन	2.25	4.10
ii)	उस पर ब्याज	–	–
ख	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	–	–

ग	देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	–	–
घ	प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	–	–
ड.	अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	–	–

21. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1.	नीति संख्या 13 सम्मिलित की गई है। **फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि** राख/राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय और अधिशेष निधि के निवेश से प्राप्त आय को 'फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि' में स्थानांतरित किया जाता है। इस निधि का उपयोग फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु अवसंरचना/सुविधाओं के विकास, प्रचार और सुविधा गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाता है।	चालू वित्त वर्ष के दौरान राख/राख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त 5.05 करोड़ रुपये की राशि फ्लाई ऐश उपयोग आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दी गई है।
2.	नीति संख्या 19.6 सम्मिलित की गई है। फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण, आईटी और अन्य संचार उपकरण, जहाँ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जीवन काल अलग से परिभाषित किया गया है, वहाँ परिसंपत्ति के जीवन काल पर मूल्यह्रास लगाया जाएगा।	नीति बेहतर प्रकटीकरण के लिए सम्मिलित की गई है। इस नीति के कारण, वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. भारतीय लेखांकन मानक 8 – ''लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ'' के अनुसार प्रकटीकरण

हालिया लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अंतर्गत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। नीचे नए मानकों और प्रमुख संशोधनों का सारांश दिया गया है जो 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए पहली बार प्रभावी होंगे:

(i) बिक्री और लीज़बैक में पट्टा देयता – भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)में संशोधन

9 सितंबर 2024 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानक 116 में बिक्री और लीज़बैक लेनदेन की आवश्यकताओं में संकीर्ण–दायरे वाले संशोधनों को अधिसूचित किया, जिनमें इंगित किया गया है कि कोई संस्था लेनदेन की तिथि के बाद बिक्री और लीज़बैक का लेखांकन कैसे करती है। संशोधनों में यह स्पष्ट किया गया है कि बिक्री और लीज़बैक के बाद पट्टा देयता को मापने में, विक्रेता–पट्टेदार 'पट्टा भुगतान' और 'संशोधित पट्टा भुगतान' का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि विक्रेता–पट्टेदार को अपने पास रखे उपयोग के अधिकार से संबंधित लाभ या हानि की कोई राशि न मिले। यह विशेष रूप से उन बिक्री और लीज़बैक लेनदेन को प्रभावित कर सकता है जहाँ पट्टा भुगतान में ऐसे परिवर्तनीय भुगतान शामिल होते हैं जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते।

(ii) बीमा संविदा – भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 117

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2024 को इंड एएस 104, ''बीमा संविदा'' के स्थान पर नए लेखांकन मानक इंड एएस 117, ''बीमा संविदा'' को अधिसूचित किया। नए मानक के अनुसार, किसी इकाई को 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए इंड एएस 117 लागू करना आवश्यक है।

कंपनी ने उपरोक्त संशोधनों का मूल्यांकन किया है और ये कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है।

23. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटीकरण

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्त वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं हैं) तीन माह के लिए लीज पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रेंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की वहन राशियां हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 के समाप्त वर्ष के लिए
आरम्भिक शेष	36.85	39.12
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	6.42	0.99
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	2.97	3.10
–पट्टा देयताओं का भुगतान	6.24	6.37
अंत शेष	40.00	36.85
चालू	3.41	3.20
गैर–चालू	36.59	33.65

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(रु करोड़ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
3 माह या कम	0.96	0.97
3–12 माह	5.24	2.92
1–2 वर्ष	6.23	7.48
2–5 वर्ष	10.35	9.22
5 वर्ष से अधिक	68.09	54.38
पट्टा देयताएं	90.87	74.98

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(रु करोड़ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	33.99	25.71
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	2.97	3.10
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.93	1.76

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(रु करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	6.24	6.37
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.93	1.76

24. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदानः

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से रु 26.47 करोड़ (पिछले वर्ष रु 6.69 करोड़) अधिक है तथा इसे बहियों में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरणः

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वस्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से रु 13.18 करोड़ (विगत वर्ष रु 11.61 करोड़) अधिक है और इसे बही में दर्ज किया गया है।

(v) अन्य (असबाब / एलएसए / एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2025 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों के हित" के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
छूट की दर	6.81%	7.10%	7.40%	7.00%	6.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

जोखिम अनावरण (एक्सपोजर) का ब्यौराः मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते हैं और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	173.36 {174.76}	95.08 {85.27}	115.46 {117.13}	117.39 {105.80}	14.68 {14.33}
ब्याज लागत	12.31 {12.93}	6.75 {6.31}	8.20 {8.67}	8.33 {7.83}	1.04 {1.06}
विगत सेवा लागत	16.53 {0.00}				7.02 {0.00}
वर्तमान सेवा लागत	4.73 {3.62}	20.30 {19.86}	5.98 {6.55}	3.44 {3.10}	4.24 {2.36}
लाभ का भुगतान	(25.43) {(19.08)}	(24.55) {(19.27)}	(9.89) {(7.47)}	(7.31) {(7.80)}	(2.22) {(1.90)}
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	0.32 {(1.12)}	4.69 {2.90}	(8.80) {(9.43)}	9.68 {8.46}	(1.38) {(1.17)}
वर्ष के अंत में पीवीओ	181.82 {173.36}	102.26 {95.08}	110.94 {115.46}	131.53 {117.39}	26.15 {14.68}

सारणी –3

तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	181.82 {173.36}	102.26 {95.08}	110.94 {115.46}	131.53 {117.39}	26.15 {14.68}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	118.36 {105.78}	उपलब्ध नहीं
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	118.36 {105.78}	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	181.82 {173.36}	102.26 {95.08}	110.94 {115.46}	13.18 {11.61}	26.15 {14.68}
अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	181.82 {173.36}	102.26 {95.08}	110.94 {115.46}	13.18 {11.61}	26.15 {14.68}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(रु करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	4.73 {3.62}	20.30 {19.86}	5.98 {6.55}	3.44 {3.10}	4.24 {2.36}
विगत सेवा लागत	16.53 {0.00}	–	–	–	7.02 {0.00}

ब्याज लागत	12.31 {12.93}	6.75 {6.31}	8.20 {8.67}	– {0.00}	1.04 {1.06}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.32 {1.12}	4.69 {2.90}	(8.80) {(9.43)}	9.78 {8.50}	1.38 {(1.17)}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	33.57 {16.55}	31.74 {29.07}	5.37 {5.79}	3.44 {3.10}	12.30 {3.42}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)		पीआरएमबी		अन्य	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.04)	(3.86)	(2.91)	(2.58)	(2.45)	(2.56)	(16.34)	(14.58)	(0.85)	(0.34)
0.50% की वृद्धि	4.28	4.08	3.13	2.75	2.58	2.68	17.53	15.65	0.93	0.35
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.03	0.76	3.12	2.76	2.58	2.68	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की वृद्धि	(1.09)	(0.83)	(2.92)	(2.60)	(2.46)	(2.58)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	17.86	15.94	0.97	0.13
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(17.04)	(15.21)	(0.84)	(0.13)

अन्य प्रकटीकरण

उपदान	**31.03.2025**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	181.82	173.36	174.76	183.38	189.99
बीमांकिक (लाभ/हानि)	0.32	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	0.32	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	33.57	16.55	16.13	16.77	17.97

अर्जित छुट्टी (ईएल)	**31.03.2025**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	102.26	95.08	85.27	76.88	66.18
बीमांकिक (लाभ/हानि)	4.69	2.90	5.34	8.15	6.26
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी केविवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31.74	29.07	28.72	26.28	23.42

अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल) छुट्टी	**31.03.2025**	**31.03.2024**	**31.03.2023**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	110.94	115.46	117.13	118.64	116.13
बीमांकिक (लाभ/हानि)	(8.80)	(9.43)	(8.36)	(3.21)	(0.88)
वर्ष के लिए लाभएवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5.37	5.79	4.46	8.85	11.18

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	131.53	117.39	105.80	95.51	87.30
मान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	9.78	8.50	7.01	3.29	1.34
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.44	3.10	2.64	2.61	2.95

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	26.15	14.68	14.33	14.26	14.29
बीमांकिक (लाभ/हानि)	1.38	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ/हानि)	1.38	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	12.30	3.42	2.20	2.09	3.19

25. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

26. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(रु करोड़ में)

क्र.	विवरण	2024–25	2023–24
i.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
ii.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
iii.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		
iv.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		
v.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.13	0.12
vi.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.04	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में रु शून्य (पिछले वर्ष से संबंधित रु शून्य) शामिल हैं।

27. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(रु करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2025	31.03.2024
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	148.23	95.62
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	26	1,731.38	777.04
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(1,583.15)	(681.42)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटीकरण का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(रु करोड़ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2024–25	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	–	3665.88	–	
गैर–चालू उधारियाँ (बॉड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	14578.80	–	18727.97	4149.17	**वृद्धि**– बांड – रु 2050.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु 1000.00 करोड़, सावधि ऋण (केनरा बैंक) रु4500.00 करोड़, सावधि ऋण (बीओबी बैंक) रु50.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) रु1167.44 करोड़ **चुकौती** – सावधि ऋण (बीओबी) – रु 250.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु197.22 करोड़, विश्व बैंक रु121.05 करोड़
उधारियां– चालू	1331.56	–	1585.33	253.77	**वृद्धि**– सावधि ऋण (बीओबी) रु 125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) रु 77.78 करोड़, विश्व बैंक (निवल) रु 50.99 करोड़।
पट्टा देयताएं	–	(6.24)	–	(6.24)	पट्टा देयता का भुगतान
ब्याज एवं वित्त प्रभार	–	(1503.49)	–	(1503.49)	ब्याज एवं वित्त प्रभारों का भुगतान
संदत्त लाभांश	–	(527.34)	–	(527.34)	लाभांश
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				2,365.87	

28. अनुपात

क्रमांक	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण*
				31.03.25	31.03.24		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.51	0.51	0.00%	
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	2.00	1.58	26.58%	कुल ऋण में वृद्धि के कारण
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ+ऋण पर ब्याज +मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + अपवादात्मक मद)	(ऋण पर ब्याज + पट्टा भुगतान + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)	1.92	1.93	(0.52%)	
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	6.79%	5.71%	18.91%	
ङ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	17.73	18.70	(5.19%)	
च	ऋण–टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व (निवल क्रेडिट बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्तियां	3.63	3.43	5.83%	
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	1.58	2.13	(25.82%)	औसत व्यापार प्राप्य में वृद्धि के कारण
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी + लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	(1.04)	(1.06)	(1.89%)	
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	कुल बिक्री	27.32%	30.45%	(10.28%)	

ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर–पूर्व आय	नियोजित पूंजी	3.90%	2.89%	34.95%	आय में ब्याज और कर पूर्व वृद्धि के कारण
ट	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	(3.01%)	(4.87%)	(38.19%)	निवेश से हानि में कमी के कारण

(*) पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक किसी भी परिवर्तन के लिए भिन्नता के कारण आवश्यक है।

29. इंड एएस 108 'प्रचालनात्मक खंड' के अनुसार प्रकटीकरण

क) प्रचालनात्मक खंडों को उद्यम के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है और जिसका प्रबंधन द्वारा संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन के आकलन के तरीके तय करने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है। अन्य संचालन, जैसे परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्य, ध्खंड रिपोर्टिंगश् पर भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–108 के अनुसार रिपोर्ट योग्य खंड नहीं बनाते हैं।

ग) कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत संयंत्र देश के भीतर स्थित हैं।

घ) प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी:

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक से राजस्व (रु करोड़ में)		प्रचालनों से कुल राजस्व के प्रतिशत (%) के रूप में ग्राहक से राजस्व	
		वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
1	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1136.07	767.64	42.35%	39.02%

ङ) बाहरी ग्राहकों से राजस्व: कंपनी भारत में स्थित है। बाहरी ग्राहकों से इसकी आय शून्य है।

30. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/– (रश्मि शर्मा) कंपनी सचिव	ह0/– (सिपन कुमार गर्ग) निदेशक (वित्त) डीआईएनः 10746205	ह0/– (आर.के. विश्नोई) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 08534217

ह0/–
संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वीरेंद्र कालरा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का एफआरएन 06568C

ह0/–
(सीए वीरेंद्र कालरा)
साझेदार,
सदस्यता संख्याः– 074084

दिनांकः– 19.05.2025
स्थानः– ऋषिकेश